6/6/24

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के समन बाद तामील मय रजि. एडी से प्राप्त हुए जिसे शा० प० किया गया। विपक्षीगण को कई बार हाक-हाक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पुस्तक से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.13 10:53:42 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान –सरकार

यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

सीन अधिकारी– मनोज, आर.ए.एस.

मा संख्या – 98/24 प्रा.पत्र

श्री हीरालाल s/o श्री केशु भील निवासी – लिरड़िया तहसील माण्डल

–प्राथी

बनाम

गोपाललाल s/o श्री कालु दमामी निवासी – दांता कला तहसील माण्डल [अगैरा]
(हस्तांकित प्रा. पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 06-06-24

::आदेश::

र्थी ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दाता कला ....पटवार हल्का दाता कला ....तहसील माण्डल मे उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. प्रस्तावित पिछले पृष्ठ पर अंकित ....कुल किता ....09 ....रकबा ....2.2132 ....हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि पक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24-4-24 ....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को कनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जो काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का री है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए क की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम दांताकला ....पटवार दांताकला ....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. प्रस्तावित पिछले पृष्ठ पर अंकित ....किता ....09 ....रकबा ....2.2132 ....हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक माण्डल ....की मौजुदगी में मौके व कब्जे 500 ....रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर ....की जावें। फसल खडी होने पर यास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी नहीं की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.13 10:53:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

पि:– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा